कालेजों को देना होगा तकनीक से लैस परीक्षा केंद्र का शपथपत्र

अशोक केडियाल • जागरण

देहरादून : वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) से संबद्ध सभी राजकीय और स्ववित्तपोषित इंजीनियरिंग कालेजों को अपने यहां सेमेस्टर परीक्षा केंद्र के उच्च तकनीकी से लैस होने का शपथपत्र देना होगा। इसके बाद ही विवि उस संस्थान को परीक्षा केंद्र बनाएगा। सभी संस्थानों को एक मई तक 100 रुपये के स्टांप पेपर पर मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।

यूटीयू के परीक्षा नियंत्रक डा.पीके पटेल ने विवि से संबद्ध सभी संस्थानों के निदेशक व प्राचार्यों को इस आशय का पत्र प्रेषित किया। बताया कि 20 मई से विवि की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं।

इस क्रम में संबंधित संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए वांछित सुविधाएं, जिनमें कंम्प्यूटर, प्रिंटर, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, फोटोकापी मशीन, स्टेशनरी, सीसीटीवी, गोपनीय कक्ष, सुरक्षा के पुख्ता सुरक्षा प्रबंध आदि सूचना शपथ पत्र में देनी होगी। उन्होंने बताया कि संस्थान में यह सुविधाएं इसलिए जरूरी हैं, कि जब समेस्टर परीक्षाएं कराई जाएंगी तो संस्थानों में प्रश्नपत्रों की हार्ड कापी नहीं मिलेगी, बल्कि परीक्षा प्रारंभ होने से 30-45 मिनट पहले विवि की ओर डिजिटल माध्यम से प्रेषित की जाएगी। जैसे ही केंद्र पर प्रश्नपत्र की

- सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ होने से पौने घंटे पहले संस्थानों को लेना होगा प्रश्न पत्र का प्रिंट
- परीक्षा केंद्र में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं होने का एक मई तक देना होगा शपथ पत्र

यूटीयू ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और नकल व पेपरलीक जैसी किसी भी संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई है। विवि की सम और विषम सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ होने से करीब पौन घंटे पहले विवि की ओर से आनलाइन माध्यम से डिजिटल प्रश्नपत्र भेजे जाएंगे, ताकि पेपर के बारे में परीक्षा नियंत्रक को भी जानकारी न हो।

– प्रो. ओंकार सिंह, कुलपति, यूटीयू

डिजिटल कापी आनलाइन प्राप्त होगी, वैसे ही संस्थान में प्रश्नपत्र के प्रिंट निकालने होंगे और उन्हें तुरंत छात्रों में वितरित कर परीक्षा प्रारंभ करानी होगी। प्रश्नपत्र की डिजिटल प्रति संस्थान के निदेशक/केंद्र अधीक्षक / पर्यवेक्षक/ को उनके कालेज में पंजीकृत अधिकारी के मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि संस्थान की ओर से दिए जाने वाले शपथपत्र में संस्थान के निदेशक व चेयरमैन के हस्ताक्षर होने जरूरी है। संस्थानों को इस शपथपत्र की प्रति आनलाइन और आफलाइन माध्यम से एक मई से पूर्व देनी होगी।